न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 127/2023 निर्णय दिनांकः 28.02.2025
ऑनलाईन नम्बर 2023/242

1. किशनाराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी लोडेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़
2. नानू पत्नि तोलराम जाति जाट निवासी लोडेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. दुर्गाराम
2. रामूराम

पुत्र स्वर्गीय कुंभाराम जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

3. मुली पत्नि स्वर्गीय कुंभाराम जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

4. जालूराम
5. जीवराज
6. फूसाराम

पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़

7. सरोज पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री ओमप्रकाश मोहरा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दुर्गाराम अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. अप्रार्थी सं. 2 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 655 तादादी 8.1800 हैक्टेयर वाकेराही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ की रोही में स्थित है, गौण अप्रार्थीगण इस खेत के प्रार्थी के साथ साथ सहखातेदार है। प्रार्थी के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 974/471 व 973/471 स्थित है और अप्रार्थीगण के खेतो की पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 529 गौचर भूमि के रूप में स्थित है और इसी गौचर भूमि के चिपते ही गैर मुमकिन कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 528 उतर से दक्षिण की ओर चलता है। खसरा नम्बर 528 गैर मुमकिन रास्ता है, प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 655 में आवागमन इसी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 528 से फंटकर पुर्वी तरफ खसरा नम्बर 529 में से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 974/471 व खसरा नम्बर 973/471 से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 655 में आवागमन करता है। खसरा नम्बर 528 से पुर्वी तरफ फंटकर खसरा नम्बर 529 में से होता हुआ खसरा नम्बर 974/471 व खसरा नम्बर 973/471 से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

होता हुआ प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है। यह रास्ता सदियों से चला आ रहा है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण इसी प्रचलित रास्ता से शुरू से ही अपने खेत खसरा नम्बर 655 में आवागमन करते आये है। इसी प्रचलित रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का यही प्रचलित रास्ता है। प्रार्थी इस रास्ता से ऊंट गाडा, ट्रेक्टर, पिकअप व जीप आदि से आवागमन करता रहता है। यह रास्ता मौके पर 14 फुट चौडा रास्ता है जो पुर्वी से पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी मार्ग से फंटकर चलता है। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश कर रहा है जो इस प्रार्थना पत्र का जुज माना जावें। यह प्रचलित रास्ता सदिया से चला आ रहा है परन्तु अब अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है जो इस रास्ता को बाधित करते रहते है, कभी खाई खोद देते है कभी भिंटके लगा देते है। प्रार्थी को गौण अप्रार्थीगण को इन बाधाओं को हटाकर अपने खेत में आना जाना पडता है। मौके पर यह रास्ता सदियो से है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को इस वादगत रास्ता से आवागमन करने में तरह तरह की बाधाऐं उत्पन करते रहते है तथा धमकियों देते रहते है कि इस वादगत रास्ता का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हमारे खेत में नही होने से हम इस रास्ता को बंद करेगें और प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को आवागमन नही करने देगें। यह धमकी अप्रार्थीगण ने आज से करीबन 1 माह पहले दी तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को गांव के मौजिज व्यक्तियो से समझाया की वो यह प्रचलित रास्ता जो सदियो से चला आ रहा है आप इस रास्ता को किसी प्रकार से बाधित ना करें और प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण को इस रास्ता से आवागमन करने दे। इस रास्ता के संबंध में प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को भी कार्यवाही करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अप्रार्थीगण पैसे वाले व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति होने से प्रार्थी की कोई सुनवाई नही हुई। दिनांक 18.08.2023 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो इस प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में सहमति से गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करवा देवें तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए कटाणी मार्ग खसरा नम्बर 528 से पूर्वी तरफ फंटकर खसरा नम्बर 529 में से होते हुए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 974/471 व खसरा नम्बर 973/471 में से होकर चल रहे रास्ता से होकर गुजरना पडता है। यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 973/471 में लम्बाई में करीब 75 मीटर व चौडाई में 14 फुट तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 974/471 में लम्बाई में करीब 125 मीटर व चौडाई में 14 फुट चलता है जिसके सम्बध में प्रार्थी धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। रास्ता की निश्चित लम्बाई के संबंध में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से रिपोर्ट तलब की जानी आवश्यक है। संलग्न नक्शा में मार्क A से B जो सींव सींव रास्ता है, धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कटाणी मार्ग तय किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। यह रास्ता खुलवाया जाना उचित व न्याय संगत है

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

व Short रास्ता है जो प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए शुरू से चला आ रहा है। प्रार्थी नियमानुसार इस रास्ता के संबंध में राशि अदा करने को तैयार है। वादगत रास्ता गांव बींझासर की रोही में अप्रार्थीगण के खेत में होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। गौण अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 655 के संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है, कोई अनुतोष उनके खिलाफ नही चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि नजरी नक्शा मार्ग A से B मार्क को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 6 को जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थन पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 655 तादादी 8.1800 हैक्टेयर रोही बीझांसर का खातेदार प्रार्थी नही है, उक्त खेत का खातेदार किशनाराम पुत्र मालुराम, नानु पत्नी तोलाराम जातियान जाट निवासी लोड़ेरा है। खेत खसरा नम्बर 974/471, 973/471 में से प्रार्थी का कभी भी आवागमन नही रहा है। खेत खसरा नम्बर 655 तादादी 8.1800 हैक्टेयर रोही बीझांसर का खातेदार प्रार्थी नहीं है। खेत खसरा नम्बर 655 के चीपता ही खेत खसरा नम्बर 838/742, 837/742 रोही बीझांसर अवस्थित है, जिसका एक ही खातेदार मधीदेवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी लोड़ेरा है। उक्त खेत में लोड़ेरा से सहजरासर की ओर जाने वाली ग्रेवल सड़क मार्ग स्थित है, इसी ग्रेवल सड़क से होते हुऐ खसरा नम्बर 655 के खातेदारान आवागमन करते है तथा लोड़ेरा सहजरासर ग्रेवल सड़क मार्ग से फंट कर खसरा नम्बर 655 में प्रवेश करते है। सुविधा अनुसार रास्ते की मांग नही की जा सकती है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार खसरा नंबर 528 कटाणी मार्ग से गोचर भूमि खसरा नंबर 529 में से अपनी जोत तक पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थी की जोत में पहुंचने हेतु वकैल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जबकि प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। धारा 251(क) के तहत मांगा गया रास्ता सुविधा का ना

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested

होकर अत्यन्त आवश्यकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार नया रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:34:54 IST
Reason: SelfAttested